बैंकिंग तथा वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड

[स्रोत: बिज़नेस लाइन](#)

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने **बैंक धोखाधड़ी मामलों** की जाँच को मज़बूती प्रदान करने के लिये **बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड (ABBFF)** का पुनर्गठन किया है।

बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड (ABBFF):

- **परिचय:**
  - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जैसी **जाँच एजेंसियों को भेजे जाने से पहले ABBFF बैंक धोखाधड़ी मामलों के लिये प्रथम-स्तरीय परीक्षण निकाय** के रूप में कार्य करता है।
    - ABBFF को वित्तीय प्रणाली के भीतर आवधिक धोखाधड़ी विश्लेषण करने का अधिकार है।
  - यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और CVC जैसे नियामक निकायों को धोखाधड़ी की रोकथाम एवं प्रबंधन से संबंधित अंतर्दृष्टि तथा नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है।
- **संरचना एवं कार्यकाल:**
  - पुनर्गठित **ABBFF बोर्ड में अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य शामिल** हैं, जिनमें से **प्रत्येक धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में अपनी विशेषज्ञता का योगदान** दे रहे हैं।
  - ABBFF के अध्यक्ष और सदस्य दो वर्ष के कार्यकाल के लिये अपने पद पर बने रहते हैं।
- **अनिवार्य रेफरल और सलाहकार भूमिका:**
  - सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को आपराधिक जाँच शुरू करने से पहले **3 करोड़ रुपए से अधिक के धोखाधड़ी के मामलों को ABBFF को संदर्भित करना आवश्यक** है।
  - अधिकारियों की आपराधिकता और दुर्भावना (**बेईमान के साथ कार्य करना**) के संबंध में ABBFF द्वारा दी गई सलाह पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिये।
  - ABBFF का दायरा CVC या CBI द्वारा संदर्भित मामलों के लिये सलाहकार सहायता प्रदान करने तक विस्तृत है।
- **"सन सेट क्लॉज़" की अनुपस्थिति:**
  - विशेष रूप से **"सनसेट क्लॉज़"** की अवधारणा, जिसमें **एक निर्दिष्ट अवधि के बाद क्रेडिट निर्णयों के लिये बैंकरों के खिलाफ सीमित कार्रवाई** हो सकती है, को ABBFF के कामकाज़ में शामिल नहीं किया गया है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission- CVC):

- **परिचय:**
  - केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना **सरकार द्वारा वर्ष 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी**, ताकि सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह और उनका मार्गदर्शन किया जा सके।
  - संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए **केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003** को अधिनियमित किया।
- **सदस्य:**
  - **इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त** और **अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त होते हैं**, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेताओं द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
    - ये **चार वर्ष की अवधि के लिये अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने** रहते हैं।
- **कार्य:**
  - यह आयोग **भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग की शिकायतों पर उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है।**
    - निम्नलिखित संस्थान, निकाय अथवा कोई व्यक्ति CVC से संपर्क कर सकता है:
      - केंद्र सरकार, लोकपाल, व्हिसिल ब्लोअर्स।
      - **यह कोई जाँच एजेंसी नहीं है**, CVC या तो सीबीआई के माध्यम से या फिर सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से जाँच करवाती है।

- इसे वशिष्ट श्रेणियों के लोक सेवकों द्वारा **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988** के तहत किये गए कथित अपराधों की जाँच करने का अधिकार है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/advisory-board-on-banking-and-financial-frauds